

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ.28()पंरावि / प्रशा-2 / ग्रासे / स्था.पद / 2018 / 2329

जयपुर,दिनांक 24.5.18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद-जयपुर ।

विषय:- ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) की संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुए स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी कर,पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र.स.	सर्व श्री / श्रीमति / सुश्री	कहाँ से(ग्रा.प./पं0स0)	कहाँ को (ग्रा.प./पं0 स0)
1	श्री गिरीश कुलवाल	पं.स. जालसू(जयपुर)	ग्राम पंचायत पावटा,पं0स0 पावटा (जयपुर)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

नोट:-

- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण / पदस्थापन सही नाम से किया जावे ।
- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय / अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण / पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावे ।


(राजेन्द्र शेखर मक्खड़)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव